(b) Entire amount (Rs. 20,969.65 P.) has been recovered.

(c) No Sir. As a matter of fact recoveries have been made from the Accountant concerned and he has been relieved of his services by the National Rifle Association of India.

(d) Does not arise.

Central Hindi Directorate

5371. **Shri Kameshwar Singh:**
Shri Nihal Singh:
Shri Sri Chand Goel:
Shri A. Sreedharan:
Shri J. H. Patel:
Shri K. M. Madhukar:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Officers in the Central Hindi Directorate are translating on payment a number of reports etc. which when officially entrusted to the Directorate are refused for translation;

(b) whether it is also a fact that the entrusting of this work of translation is also being extended to the wives of some officers of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology;

(c) whether it is also a fact that this practice has resulted in shortage of work-load in the Central Hindi Directorate and abolition or reduction of certain posts; and

(d) if so, the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). The Kendriya Hindi Nideshalya is responsible only for translation of Office Manuals, Forms and other procedural literature of non-statutory character. Formerly, the Directorate used to translate also the reports of other Ministries and Departments of Government of India on special requests, but as a result thereof its own translation work had fallen into heavy arrears. The Directorate was therefore instrusted not to accept any translation work from other Ministries, who should be asked to get their reports translated by their own Hindi Officers. The Central Hindi Directorate, however, maintains a panel of translators and whenever any request is received from any Department for suitable names for translation work on payment basis, suitable names from the panel are suggested for the assignment direct to them. In a few cases, however, the employees of the Central Hindi Directorate have also been permitted to accept translation work outside their office hours on payment basis after obtaining the prior approval of the competent authority. Only in one case, a wife of an Officer working in the Office of the Commission for Scientific and Technical Terminology, who was borne on the panel of translators maintained by the Directorate, was assigned translation work by a Department.

(c) No Sir, since it is not the normal function of the Directorate to undertake such translation work.

(d) Does not arise.

गारो पहाड़ियों में पाकिस्तानी अतिक्रमण

5372. **श्री मधु लिमये :**
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 जून 1967 को गारो पहाड़ियों के गांधीवार क्षेत्र के एक गांव में 25 सशस्त्र पाकिस्तानी घुस आये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस गांव के ढोरों को बलात् उठा ले जाने के सभी प्रयत्न किये किन्तु वे गांव वालों के हल्ला-गुल्ला करने पर भाग गये थे;

(ग) क्या इस वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई थीं, और

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). 16 जून, 1967 को लगभग साढ़े पांच बजे सुबह लाठियों से लैस लगभग 25 पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुस आये और गारो पहाड़ियां जिले में सिलबारी के एक भारतीय नागरिक पर आक्रमण किया जो अपने बेटे के साथ चार मवेशियों को लेकर गाधीबार गांव में अपनी जमीन जोतने के लिये जा रहा था। भारतीय नागरिक को मामूली चोटें आईं। पाकिस्तानी बदमाशों ने चारों मवेशियों को हांक ले जाने की चेष्टा की किन्तु भारतीय नागरिकों की एक बड़ी भीड़ को देखकर भाग गये।

(ग) ऐसी ही घटनाएं गारो पहाड़ियों में माशरेचार तथा कमारपाड़ा नामक दो सीमावर्ती गांवों में 15 अप्रैल, 1967 को हुई। ये दोनों गांव थाना महिन्द्रगंज के अन्तर्गत पड़ते हैं।

(घ) सीमा सुरक्षा दल के क्षेत्रीय समादेशक द्वारा सभी मामलों में विरोध प्रगट किया गया। इस क्षेत्र में गश्त को बढ़ाया गया है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाये गये हैं।

लड़कियों का अपहरण

5373. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से अपहृत एक वयस्क बालिका हाल में बम्बई में बरामद हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त लड़की का अपहरण एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी ने किया था और इस लड़की को उसके कब्जे से बरामद किया जा चुका है; और

(ग) पिछले वर्ष दिल्ली तथा नई दिल्ली से कितनी लड़कियों का अपहरण किया गया और उनमें से कितनी लड़कियां बरामद की जा चुकी हैं और अपहरण के कितने मामलों में पुलिस का हाथ पाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) कहा जाता है कि दिल्ली के भूतपूर्व कांस्टेबल ने एक लड़की का अपहरण किया था। वह बम्बई से बरामद हुई थी। उक्त भूतपूर्व कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया था और अब जमानत पर छूट गया है। इस बारे में तीन अन्य व्यक्ति (दो पुरुष और एक स्त्री) भी गिरफ्तार किये गये हैं। लड़की की आयु की जांच की जा रही है।

(ग) वर्ष 1966 के दौरान 213 लड़कियां अपहृत की गई थीं जिनमें से 200 बरामद कर ली गई। इन मामलों में से किसी में किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का हाथ नहीं था।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा

5374. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री निहाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को हायर सेकेन्डरी तथा उच्च शिक्षा मुफ्त दिलाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और